



झारखण्ड सरकार

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची-834002

E-mail-pccfjharkhand@yahoo.co.in Phone-0651-2481909 / 2480413



अर्थो हे वरिष्ठादी ।
वर्तौ ते खराखती ॥

पत्रांक:-22 पी0 2 (2) 6/2015 - 3630

दिनांक:- 10.11.15

सेवा में

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
राँची/बोकारो/हजारीबाग/जमशेदपुर/दुमका/पलामू।
मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी झारखण्ड, राँची।
क्षेत्र निदेशक, व्याघ्र परियोजना, पलामू।

विषय :- वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत समर्पित प्रस्तावों, निराकरण/अनुपालन प्रतिवेदन के संबंध में सामान्य दिशा-निर्देश।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत समर्पित प्रस्ताव, निराकरण/अनुपालन प्रतिवेदन से संबंधित पत्र एवं संलग्न अभिलेखों पर संबंधित पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये गये स्थान के नीचे उनका पूरा नाम अथवा पूरे नाम का मोहर नहीं लगाया जाता है, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि संबंधित हस्ताक्षर किस पदाधिकारी का है।

अतः निदेश दिया जाता है कि भविष्य में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत प्रस्तावों के साथ संलग्न सभी संबंधित अभिलेखों एवं कार्यालय पत्राचार के अन्य सभी अभिलेखों एवं पत्रों पर हस्ताक्षर के साथ पदाधिकारी अपना पूरा नाम अथवा पूरा नाम का मोहर (पदनाम सहित) अंकित कर ही प्रतिवेदन पत्र इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

इस निदेश का पालन भविष्य में दृढ़तापूर्वक सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक-22 पी0 2 (2) 6/2015 - 3630 दिनांक- 10.11.15

प्रतिलिपि:- सभी वन संरक्षक, झारखण्ड/सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 से संबंधित अभिलेखों एवं कार्यालय पत्राचार के अन्य सभी अभिलेखों एवं पत्रों पर हस्ताक्षर के साथ अपना पूरा नाम अथवा पूरे नाम का मोहर (पदनाम सहित) लगाना भी सुनिश्चित किया जाय।

ह0/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक-22 पी0 2 (2) 6/2015 3630

दिनांक- 10.11.15

प्रतिलिपि:- Envis Center, Ranchi को तत्काल विभागीय साईट पर Upload साईट करने हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।